हॉल बनाने के लिए बीच की बीम हटाने पर गिरी थी इमारत

हॉस्टल डेथ

बेसमेंट की मरम्मत में शामिल ठेकेदार की तलाश
पुलिस ने सुरक्षा ऑडिट के लिए पत्र लिखा

पुरुषोत्तम वर्मा

नई दिल्ली। सत्य निकेतन स्थित पीजी इमारत के बेसमेंट में पानी के रिसाव (सीवेज) की पुरानी समस्या थी। इसके अलावा भूतल पर बनी दो दुकानों को एक करने के लिए हॉल बनाया जा रहा था। भूतल को किसी कैमिस्ट को किराये पर दे दिया गया था। दो दुकानों को एक करने के प्रयास में बीच का बीम हटा दिया गया जिस कारण इमारत जमींदोज हो गई। हालांकि इमारत के बेसमेंट को भर दिया गया था। दूसरी तरफ दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस ने दिल्ली सरकार व अन्य एजेंसियों को इलाके में स्थित इमारतों का तत्काल प्रभाव से सुरक्षा ऑडिट करने के लिए पत्र लिखा है।

पुलिस अब उस ठेकेदार की तलाश कर रही है जो बेसमेंट में रिसाव की समस्या दूर करने के लिए मरम्मत का काम करा रहा था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनमें यह काम कराया जा रहा था, और क्या इसके कारण कोई ढांचागत बदलाव हुआ जिससे भवन ढह गया। सत्य निकेतन में दशकों पुरानी यह इमारत लगभग 55 वर्ग मीटर में फैली थी और इसमें एक बेसमेंट तथा भूतल और चार ऊपरी मंजिलें थीं। बताया जाता रहा है कि प्रत्येक मंजिल पर दो कमरे थे व हर कमरे में दो बिस्तर थे। इस संरचना में खंभे व बीम नहीं थे।

हॉस्टल डेज को लीज पर दिया हुआ था : दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। जांच के दौरान महेश ने बताया कि वह अपने माता-पिता की ओर से बिल्डिंग के रखरखाव का काम देखता था। उन्होंने अगस्त 2025 में यह बिल्डिंग पीजी ऑपरेटर हॉस्टल डेज़ को लीज पर दी थी। बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से बारिश के मौसम में वहां कचरा जमा हो रहा था।

सत्य निकेतन में मल्टी-स्टोरी पीजी गिरने के बाद नई दिल्ली में मंगलवार को हादसे वाली बिल्डिंग के बराबर में मौजूद इमारत को सुरक्षित करने के लिए अस्थायी लोहे के पिलर लगाता मजदूर। एजेंसी

■ **पुलिस ने मोबाइल जैमर लगाए जाने के दावों को किया खारिज** दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद घटनास्थल पर मोबाइल फोन जैमर लगाने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से चालू थे। पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और अग्निशमन विभाग के कर्मी मोबाइल के माध्यम से ही निर्बाध रूप से समन्वय कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि दुर्घटनास्थल पर मीडिया कर्मी और आम लोग मोबाइल कनेक्टिविटी में बिना किसी व्यवधान के सीधा प्रसारण कर रहे थे।

एमसीडी जागी...पीजी भवनों का सर्वे शुरू

नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पीजी भवन गिरने के बाद जागी एमसीडी ने मंगलवार से पूरी दिल्ली के पीजी भवनों को खंगालना शुरू कर दिया है। एमसीडी के प्रारंभिक सर्वे में 29 पीजी भवनों में छोटी और छह में बड़ी मरम्मत की जरूरत सामने आई है। छोटी मरम्मत वाले भवनों में करीब 424 लोग और बड़ी मरम्मत वाले छह भवनों में करीब 92 लोग रह रहे हैं। इन भवनों पर कार्रवाई कब होगी और वहां रहने वालों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, यह बड़ा सवाल है। सिविल लाइंस जोन में पीजी भवनों की संख्या में सबसे अधिक है। यहां 450 पीजी भवन दर्ज हुए हैं। इनमें 442 सुरक्षित पाए गए, जबकि आठ में छोटी मरम्मत की जरूरत सामने आई। यहां सर्वे अभी जारी है। केशवपुरम जोन में 285 पीजी की पड़ताल हुई और 270 सुरक्षित मिले, जबकि 10 में छोटी और पांच में बड़ी मरम्मत की जरूरत पाई गई। बड़ी मरम्मत वाले भवनों की संख्या के लिहाज से केशवपुरम सबसे आगे है। ब्यूरो

- **शाहदरा दक्षिण के 20 पीजी में 19 सुरक्षित :** शाहदरा दक्षिण के 20 पीजी में 19 सुरक्षित और एक में छोटी मरम्मत की जरूरत मिली। शाहदरा उत्तर में एक पीजी की जांच हुई और वह सुरक्षित पाया गया। नजफगढ़ के 65 और मध्य जोन के 57 पीजी में फिलहाल किसी तरह की मरम्मत या खतरनाक नहीं पाई गई।
- नरेला में 67 पीजी की जांच में 60 सुरक्षित और चार में छोटी मरम्मत की जरूरत मिली। रोहिणी के 32 पीजी फिलहाल सुरक्षित पाए गए। पश्चिम जोन में 48 पीजी मिले। इनमें 43 सुरक्षित और पांच में छोटी मरम्मत की जरूरत बताई गई। दक्षिण जोन में 47 पीजी की जांच हुई और 45 सुरक्षित मिले, जबकि एक में छोटी और एक में बड़ी मरम्मत की जरूरत सामने आई। बड़ी मरम्मत वाले भवन में करीब 56 लोग रह रहे हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने एम्स में घायल छात्रों का हाल जाना

परिजनों के साथ सीएम। एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर साउथ कैंपस के सत्य निकेतन में हुए भवन हादसे में घायल छात्रों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों के स्वास्थ्य और उपचार की स्थिति की जानकारी ली व परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी व उपचार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने एम्स के चिकित्सकों से घायल छात्रों की स्थिति और उन्हें दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल छात्रों की स्थिति पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार नजर रख रही है। सीएम ने चिकित्सकों को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परिजनों से हिम्मत बनाए रखने की अपील करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ब्यूरो

हादसे के बाद परिचर्चा में शामिल हुए कुलपति का एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, हंगामा

नई दिल्ली। सत्य निकेतन में हुए हादसे के तीन दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के एक कार्यक्रम में शामिल होने पर एनएसयूआई ने विरोध जताया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर नारेबाजी भी की। छात्र संगठनों ने कहा कि जब छात्र पीड़ित हैं, तो डीयू कुलपति जश्न भरे कार्यक्रमों में कैसे शामिल हो सकते हैं। एनएसयूआई ने आर्ट्स फैकल्टी के पास प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका और संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए। एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि सत्य निकेतन हादसे से विश्वविद्यालय समुदाय में शोक है। ऐसे समय कुलपति का कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं था। ब्यूरो

हॉस्टल सुविधा की मांग, हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इन्कार

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से जुड़े सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। वकील विमल त्यागी ने मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया। मुख्य न्यायमूर्ति उपाध्याय ने कहा कि कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि एक दिन पहले ही एक अन्य याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। वकील त्यागी ने बताया कि उनकी याचिका में मांगी गई राहत पहले सुनी गई याचिका से अलग है। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें याचिका दायर करने को कहा और बताया कि वह स्वतः सूचीबद्ध हो जाएगी। अदालत ने कहा कि अपनी याचिका दायर कर दीजिए, उस पर सुनवाई हो जाएगी। अनावश्यक रूप से अपना समय बर्बाद न करें। ब्यूरो

नई दिल्ली में मंगलवार को सत्य निकेतन में पीजी खाली कर अपना सामान ले जाते स्टूडेंट्स। एजेंसी

पीजी के लिए लाइसेंस जरूरी, किराया होगा तय
शिक्षा मंत्री से मिले डीयू के छात्र, केंद्रीय पीजी पोर्टल भी बनेगा

नई दिल्ली। सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पीजी नीति लागू करने का फैसला किया है। जल्द इसका मसौदा तैयार किया जाएगा। नीति के तहत पीजी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा।

मंगलवार को शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में पीजी और किराये के मकानों में रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान सूद ने कहा कि एक से दो महीने के भीतर इस नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। सूद ने प्रस्तावित पेइंग गेस्ट आवास विनियमन एवं सुरक्षा विधेयक 2026 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में पीजी संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा समेत अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय पीजी पोर्टल की व्यवस्था होगी। पोर्टल पर छात्रों को पीजी का किराया, सुविधाएं व सुरक्षा ऑडिट की स्थिति जैसी जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार पहले से पीजी नीति और न्यायमूर्ति गौबा समिति की रिपोर्ट को लागू करने पर काम कर रही थी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों व नरेला समेत खाली पड़ी सरकारी इमारतों में छात्रावास बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रहीं हैं। ब्यूरो

मंत्री से चर्चा करते छात्र। एजेंसी

न्यूज डायरी

केमिकल फैक्टरी में आग से करोड़ों का नुकसान

हापुड़। मसूरी-गुलावठी रोड स्थित केमिकल से थिनर बनाने की त्रिवेणी मोदीकेम फैक्टरी में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। 8 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। मजदूरों ने भाग कर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की एक दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संवाद

दिल्ली विस में बम की धमकी फर्जी पाई गई

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा को मंगलवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। गहन तलाशी के बाद यह धमकी फर्जी पाई गई। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष बिजेंद्र गुप्ता को यह ईमेल मिला था। व्यापक तलाशी अभियान के बाद परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो

सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक समेत सात विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर अवैध प्रवेश, ठहरने और आवाजाही का आरोप है। हालांकि, एजेंसी ने आरोप पत्र में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (यूएपीए) की धाराएं नहीं लगाई। ब्यूरो

नोएडा परिवहन विभाग ने 21 बसें सीज कीं

नोएडा। परिवहन विभाग ने ऑपरेशन कवच के तहत दूसरे दिन 21 डग्गामार बसों को सीज कर दिया। वहीं 34 बसों के चालान कर मोरना डिपो में खड़ा करा दिया गया। परिवहन विभाग ने बताया कि सोमवार को शुरू हुए इस अभियान में दो दिन में परिवहन विभाग ने 46 बसों को सीज व 80 के चालान कर कार्रवाई हो चुकी है। ब्यूरो

अब एनसीआर के 63 शहर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मिलकर करेंगे काम

अमर उजाला ब्यूरो

बैठक में शहरों के मेयर के अलावा यूपी, दिल्ली और हरियाणा के पर्यावरण मंत्री हुए शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के 63 शहर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। एकमुश्त कार्ययोजना के तहत इन शहरों में धूल शमन से लेकर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट निस्तारण योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा।

इसके अलावा वायु गुणवत्ता खासकर दिल्ली का दम फुलाने वाले प्रदूषण की नियमित निगरानी और जारी कार्यों का आकलन किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को पहली बार दिल्ली-एनसीआर और आस-पास के शहरों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए विस्तार से पहली बार मंथन किया। दरअसल हर साल दिल्ली में 15 सितंबर से लेकर दिसंबर तक वायु प्रदूषण की मार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर सांसों का संकट मंडराता है। इससे निपटने के लिए दिल्ली समेत एनसीआर के वायु गुणवत्ता आयोग का भी गठन किया गया है। जिसके जिम्मे वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण उपाय लागू करना है। बैठक में 63 शहरों के मेयर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री, सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरपर्सन और सदस्य सचिव शामिल हुए।

मणिपुरी समुदाय में आक्रोश...मारे गए संगीतकार की पत्नी बोलीं- न्याय चाहिए

इंफाल/नई दिल्ली। मणिपुर के प्रसिद्ध संगीतकार और संगीत शिक्षक चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में मारपीट के बाद हुई मौत से पूर्वोत्तर समुदाय में आक्रोश है। संगीतकार के परिवार के साथ ही राज्य के सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

विक्रम की पत्नी जोशना चोंगथम ने कहा, हम बदला नहीं चाहते, हमें न्याय चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, किलोकरी गांव स्थित घर के बाहर शोर को लेकर विक्रम (54) ने कुछ लोगों से आपत्ति जताई थी। रविवार रात साढ़े 11 बजे वह नीचे आए थे। आरोप है, ढाबा कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया। समूह ने लात-घुसों से बुरी तरह पीटा। घायल गायक को बेटे ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ब्यूरो

पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रस्ताव से शीर्ष अदालत खुश नहीं, घर खरीदारों के लिए मांगा नया प्लान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें परेशान घरखरीदारों को फ्लैट का कब्जा देने या ब्याज समेत रकम लौटाने का खाका पेश किया गया था। अदालत ने कहा कि यह प्रस्ताव कार्यवाही और भुगतान में देरी करने का एक और तरीका प्रतीत होता है।

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की तीन सदस्यीय पीठ ने कंपनी को ऐसा नया प्रस्ताव दाखिल करने को कहा है जो सभी घरखरीदारों के दावों को संतुष्ट करने वाला हो। पीठ ने चेतावनी दी कि संतोषजनक प्रस्ताव नहीं आने पर वह सभी जिम्मेदारियां संभालने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने को मजबूर हो सकती है। घरखरीदारों के दावों में रिफंड, कब्जे में देरी का मुआवजा और हरियाणा रेरा के आदेशों का पालन न होने से जुड़े मामले शामिल हैं। पीठ ने पार्श्वनाथ एक्सोटिका, सेक्टर-53, गुरुग्राम की होमबायर रीटा टिक्कू व लोकेश टिक्कू के मामले का उल्लेख किया। कोर्ट के मुताबिक, उन्होंने जीवनभर की बचत इस परियोजना में लगाई थी। फ्लैट की बिक्री कीमत 1.78 करोड़ रुपये थी और 36 महीने में कब्जा दिया जाना था, यानी फरवरी 2013 तक। पूरी रकम चुकाने के बावजूद निर्माण समय पर पूरा नहीं हुआ और 2021 तक उन्हें न तो पैसा वापस मिला और न ही फ्लैट का कब्जा। एजेंसी

कहा, यह बस कार्यवाही व भुगतान में देरी करने का एक और पैंतरा है

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा (एआरएमबी), बुलंदशहर (डी. नं. 821200)
पीएनबी हाऊस, यमुनापुरम, बुलंदशहर-203001 | Email: CS8212@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) व नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपतियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण एवं विशेषतः ऋणकर्ता(ओं) व गारंटरों(ओं) व रेहनकर्ताओं को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूतित ऋणदाता के पास रेहन रखी गई/प्रभारित निम्न उल्लेखित अचल संपति, जिसका निर्माणात्मक/ भौतिक कब्जा इस बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, इसे संबंधित ऋणकर्ताओं व गारंटरों रेहनकर्ताओं से बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता की बकाया देय राशि की वसूली के लिए यहां निम्न उल्लेखित तालिका में उल्लेखितानुसार तिथि को **''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर''** बेचा जाऐगा। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा संबंधित संपतियों के प्रति निम्न तालिका में उल्लेखितानुसार है।

प्रत्याभूतित परिसंपतियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / एकाउंट का नाम / ऋणकर्ता/रेहनकर्ताओं/ गारंटरों खाता का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का ब्यौरा	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि / बी) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि / डी) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/ निर्माणात्मक	ए) आरक्षित मूल्य राशि रू. में / बी) ईएमडी(अंतिम तिथि व समय) / सी) बोली वृद्धि राशि / डी) बैंकनेट संपत्ति आईडी	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रत्याभूतित ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभार की जानकारी
1.	ई-यूबीआई बुलन्दशहर/एआरएमबी बुलन्दशहर **मैसर्स ए आर.के एंटरप्राईसिज़** इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री मोह. राशिद पुत्र श्री अब्दुल बारी, स्थित है: गांव कलोनी, पोस्ट उतरावाली, अनूपशहर रोड बुलंदशहर-245409 **श्री मोह. राशिद पुत्र श्री अब्दुल बारी,** पताः मकान सं.-16, गांव कलोनी, डाक उत्तरावाली, जिला बुलन्दशहर-203002 **श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल बारी,** पता-पताः मकान सं.-16, गांव कलोनी, डाक उत्तरावाली, जिला बुलन्दशहर-203002 **श्री आस मोह. खान पुत्र श्री अब्दुल बारी,** पताः मकान सं.-16, गांव कलोनी, डाक उत्तरावाली, जिला बुलन्दशहर-203002	मोह. राशिद, अब्दुल कादिर, आस मोह. खान के नाम में कलोनी, परगना बारन, बुलन्दशहर में स्थित खाता सं.-38, खेत सं. 662मी. में से 1260.00 वर्ग मीटर माप की औद्योगिक सम्पत्ति। सीमाएं पूर्व-रास्ता, पश्चिम-अब्दुल बारी का खेत, उत्तर-शमीम का खेत	A) 01.06.2021 B) Rs 87,69,274.64 साथ ही 01.06.2021 से आगे का ब्याज और अन्य लागतें, शुल्क व खर्चे। C) 01.10.2021 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 106.70 Lakh B) Rs. 10.67 Lakh (23.09.2026/ सायं 05:00 बजे तक) C) Rs. 0.25 Lakh D) PUNBUBI3	24/09/2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं
2.	शाखाः एआरएमबी बुलंदशहर/मैसर्स सन लाइट बैटरीज **खाताः** मेसर्स सन लाइट बैटरीज, प्रोप्राइटर श्री जय भगवान शर्मा पुत्र महेश चंद शर्मा के माध्यम से **(ऋणकर्ता/रेहनकर्ता) पताः** 748, मोहल्ला खतरीवाड़ा, देवी मंदिर के समीप, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उ.प्र. -203205 श्रीमती अलका शर्मा पत्नी श्री जय भगवान शर्मा **(रेहनकर्ता/गारंटर) पताः** 748, मोहल्ला खतरीवाड़ा, देवी मंदिर के समीप, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उ.प्र.-203205	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें खसरा संख्या 1687M, खतौनी संख्या 473, मोहल्ला खत्रीवाड़ा (देवी मंदिर के पास), सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर शामिल है; जिसका क्षेत्रफल 88.00 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तरप्रदेश के सब-रजिस्ट्रार क्षेत्र के अंतर्गत आती है और श्री जय भगवान शर्मा तथा श्रीमती अलका शर्मा के नाम पर दर्ज है। **सीमाएँ:** पूर्वः लक्ष्मण सिंह का मकान, पश्चिमः 6 फुट चौड़ी सड़क, उत्तरः 8 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः जय भगवान शर्मा का मकान, दक्षिण-मोहम्मद आरिफ का मकान।	A) 11.04.2018 B) Rs. 38,31,648/- 31.03.2018 को देय प्लस 01.04.2018 से भावी ब्याज जमा अन्य लागतें एवं खर्चे C) 21.12.2018 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 20.40 Lakh B) Rs. 2.04 Lakh (23.09.2026/ सायं 05:00 बजे तक) C) Rs. 0.25 Lakh D) PUNBOBCSKD1	24/09/2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं
3.	एआरएमबी बुलन्दशहर/मैसर्स अभय इंटरप्राईसिज इसके प्रोप. द्वारा श्री दुष्यंत कुमार पुत्र श्री अभय सिंह (1) **श्री दुष्यंत कुमार पुत्र श्री अभय सिंह** (ऋणकर्ता/रेहनकर्ता) इसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा श्रीमती सविता पत्नी स्व. श्री दुष्यंत कुमार एवं मास्टर अभिनव राजोरा पुत्र स्व. श्री दुष्यंत कुमार, कु. अजिकराया रजोरा पुत्री स्व. श्री दुष्यंत कुमार इसके संरक्षकों द्वारा श्रीमती सविता पताः-गांव अछेजा घाट, पोस्ट हतमाबाद, बुलन्दशहर-203001 (2) **मोह. सलीम पुत्र कलुआ** (गारंटर) पताः मकान सं.-649, बुर्ज अस्मान खुर्जा, बुलन्दशहर-203131	स्व. श्री दुष्यंत कुमार पुत्र श्री अभय सिंह के नाम में सब रजस्ट्रार बही सं.-1, जिल्द सं.-5056, पेज सं.-237-278, क्रम सं.-5156 दिनांक 06.10.2017, के साथ पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा पंजीकृत गांव अछेजा घाट, पोस्ट हतमाबाद, जिला बुलन्दशहर में स्थित खसरा सं.-771 का भाग 1265 वर्ग मीटर माप के प्लॉट के रूप में सम्पत्ति। बिक्री विलेख के अनुसार। सीमाएं : पूर्व-गजेन्द्र का खेत, पश्चिम-चक रोड उत्तर-सम्पर्क सड़क 16 फुट चौड़ी, दक्षिण-विक्रेता का खेत।	A) 10.05.2022 B) Rs. 22,67,574/- + अतिरिक्त ब्याज + अन्य लागतें और खर्च C) 24.07.2023 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 74.17 lakh B) Rs. 7.42 Lakh (23.09.2026/ सायं 05:00 बजे तक) C) Rs. 0.25 Lakh D) PUNBYAMNAPURAM12	24/09/2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं
4.	**शाखाः सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर/एआरएमबी बुलन्दशहर (821200) खाताः श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री सतीश अग्रवाल** श्री गौरव अग्रवाल सुपुत्र श्री सतीश अग्रवाल श्रीमती श्याम लता अग्रवाल पत्नी श्री सतीश अग्रवाल, श्री मनुज अग्रवाल पुत्र श्री सतीश अग्रवाल	श्री गौरव अग्रवाल सुपुत्र श्री सतीश अग्रवाल श्रीमती श्याम लता अग्रवाल पत्नी श्री सतीश अग्रवाल श्री मनुज अग्रवाल सुपुत्र श्री सतीश अग्रवाल के नाम में मोहल्ला शख सराय, बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203001 में स्थित मकान संख्या 84, क्षेत्रफल 72.80 वर्ग मीटर। **सीमाएँ:** पूर्व - 15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - वर्मा जी का घर, उत्तर -संजय अग्रवाल का घर, दक्षिण - 10 फुट चौड़ी सड़क/गली	A) 25.05.2021 B) Rs. 22,27,238.00 + 01.05.2021 से भावी ब्याज अन्य लागतें/खर्चे C) 19.01.2022 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 33.00 Lakh B) Rs. 3.30 Lakh (23.09.2026/ सायं 05:00 बजे तक) C) Rs. 0.25 Lakh D) PUNBCLBSR4	24/09/2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं
5.	एआरएमबी बुलन्दशहर **मैसर्स अली हैंडलूम अपने मालिक श्री शाकिर अली** के माध्यम से पताः सराय मुर्तजा, जी टी रोड खुर्जा जिला बुलन्दशहर 203131**श्री शाकिर अली पुत्र श्री हाजी हासिम अली मालिक मैसर्स अली हैंडलूम** पताः मकान नंबर 447, तारिनान, खुर्जा, जिला बुलंदशहर 203131 **श्री हाजी हासिम अली पुत्र श्री. हाजी कासिम अली (गारंटर/रेहनकर्ता)** पताः मकान नंबर 447, तरीनान, खुर्जा, जिला बुलंदशहर 203131 **श्रीमती सरवरी बेगम पत्नी श्री हाजी हासिम अली (गारंटर/रेहनकर्ता)** पताः हाउस नंबर 447, तरीनान, खुर्जा, जिला बुलंदशहर 203131	श्री हाशिम अली पुत्र श्री हाजी कासिम और श्रीमती सरवरी बेगम पत्नी श्री हाशिम अली के स्वामित्व में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 2400, पृष्ठ संख्या 145/148, क्रमांक 2651, दिनांक 15.07.2000 को पंजीकृत, मोहल्ला सराय मुर्तजा खान, परगना तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर में स्थित 218.50 वर्ग मीटर का एक मंजिला मकान, **विक्रय विलेख के अनुसार सीमाएं इस प्रकार हैं:** पूर्वः गली 8 फ़ीट 9 इंच चौड़ी, पश्चिमः हाजी अब्दुल रहीम का प्लॉट, उत्तरः बसर का प्लॉट और हाजी अब्दुल रहीम की जमीन, दक्षिणः मुर्तजा खान का प्लॉट	A) 17.11.2020 B) Rs.31,63,321.47 + 01.06.2019 से भावी ब्याज C) 08.02.2021 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 42.77 Lakh B) Rs. 4.28 Lakh (23.09.2026/ सायं 05:00 बजे तक) C) Rs. 0.25 Lakh D) PUNBKHURJAMAIN8	24/09/2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे	प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें :- 1. सम्पत्तियों की बिक्री **''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर''** पर की जाएगी। 2. उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, परन्तु प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह बिक्री प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्न अतिरिक्त शर्तों के तहत होगी। यह नीलामी बिक्री पोर्टल **https://Baanknet.com.**पर **''ई-नीलामी के द्वारा ऑनलाईन''** की जाएगी। 4. बिक्री की सामान्य शर्तों व नियमों वाली बिक्री सूचना निम्न वेबसाईटों **(1) https://Baanknet.com (2) www.pnb.bank.in.**पर उपलब्ध/प्रकाशित की गई है। 5. इच्छुक बोलीदार/खरीददार को **https://Baanknet.com,**पर पंजीकृत करना आवश्यक होगा, ई-केवाईसी को पूरा करें, ई-वॉलेट में ईएमडी जमा करें और नीलामी की तिथि व समय से पूर्व संबंधित संपति के साथ वालेट राशि लिंक करनी होगी। अहार्य ईएमडी जमा न करवाने वाले बोलीदारों को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाऐगी। 6. सफल बोलीदार को उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस पर ईएमडी समायोजित करने के बाद बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी और शेष 75 प्रतिशत राशि को नीलामी की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करवाना होगा, अन्यथा जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाऐगा और संपति को पुनः-नीलाम किया जा सकता है। 7. सभी संवैधानिक देय राशि/अटेंडेंट प्रभार/पंजीकरण प्रभार/स्टांप डयूटी/कर /टीडीएस और अन्य देय राशि का वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बतलाए किसी भी बोली को स्वीकृत/निरस्त करने अथवा नीलामी को स्थगन/निलंबन/एडजर्न करने के सभी अधिकार है।

सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत संवैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक : 08.09.2026, स्थान : बुलंदशहर

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक